

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

मण्डल विनियम 122 के अनुसार ग्राह्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रर्थना पत्र का नमूना

नोट:- यह प्रमाण पत्र 150.00 रुपये एवं नामांकन शुल्क 50 रुपये कुल रुपये 200.00 तथा वांछित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतिलिपियों सहित समस्त बिन्दुओं की पूर्ति उपरांत विद्यालय के प्राचार्य द्वारा भेचा जाये । प्रस्तुत अंकसूची, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की सत्यता /समकक्षता सम्बंधित पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/प्राचार्य का होगा ।

1. प्रार्थी का नाम
2. प्रार्थी के पिता का नाम
3. जन्मतिथि
4. प्रार्थी का वर्तमान पता
5. प्रार्थी के पालक का नाम तथा प्रार्थी का उससे संबंध
.....
6. इस मण्डल की हाईस्कूल/हायर सेके. परीक्षा में प्रवेश पाने
के लिये प्रार्थी द्वारा पूर्व में उत्तीर्ण अन्य बोर्ड अथवा वि वि
की मान्य अंतिम परीक्षा का नाम (उस बोर्ड अथवा वि वि का नाम जिसमें वह अध्ययनरत था)
.....
7. उक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि तथा विषयों का नाम
8. यदि प्रार्थी के इस मण्डल के क्षेत्र में प्रवेश लेने के पूर्व अन्य बोर्ड
.....
अथवा वि वि का मान्य इन्टरमिडियेट कक्षा के प्रथम/द्वितीय
.....
वर्ष अथवा हायर सेके. परीक्षा (प्री-युनिवर्सिटी) कक्षा में
अध्ययन किया हो, तो संस्था कक्षा विषयों के नाम
9. इस मण्डल द्वारा मान्य विद्यालय का नाम जिसमें प्रार्थी प्रवेश
.....
पाना चाहता है, (प्रवेश लेने वाली कक्षा तथा विषयों का स्पष्ट
.....
खुलासा किया जावे) ।
10. इस संस्था में प्रवेश चाहने के कारण

दिनांक / /

प्रार्थी के हस्ताक्षर.....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थी द्वारा उपर दी गई माहिती मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है । छात्र को इस शाला में सत्र में कक्षा..... में प्रवेश दिया गया है ।

नोट:- निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र ओर उनकी एक-एक आपके द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रार्थना पत्र के साथ भेजना चाहिये । मूल प्रमाण पत्र जाँच के उपरांत लौटा दिये जावेंगे ।

1. अन्य बोर्ड अथवा वि वि की परीक्षा उत्तीर्ण होने की मूल अंकसूची, एवं स्थानांतरण प्रामाण पत्र एवं सत्यापित छाया प्रति ।
2. यदि प्रार्थी ने इण्टरमीडियेट प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा प्री युनिवर्सिटी कक्षा में अध्ययन करना छोड़ा हो,तो उस संस्था के प्राचार्य का प्रामाण पत्र ।
3. मण्डल विनियम 122 के अनुसार ग्राह्यता प्रार्थना पत्र दो प्रति में तैयार कर एक प्रति स्स्था की प्रवेश संबंधी फाईल में सुरक्षित रखें ।
4. संस्था में छात्र प्रवेश उपरांत 7 दिवस के भीतर ग्राह्यता कार्यवाही पूर्ण कर ग्राह्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करें ।
5. किसी भी प्रकार गलत जानकारी देकर ग्राह्यता प्राप्त करने पर पूर्ण उत्तरयायित्व छात्र/प्राचार्य का होगा ।

..2..

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक/ /प0स0/200

रायपुर दिनांक

प्रति,

प्राचार्य

समस्त मान्यता प्राप्त संस्थायें,

छत्तीसगढ़

विषय :-

ग्राह्यता प्रामाण पत्र (Eligibility certificate) विषयक जानकारी बाबत ।

उपर्युक्त विषय में संस्थाओं की जानकारी हेतु निम्नानुसार विवरण प्रसारित किया जाता है :-

1. मण्डल विनियम क्रमांक 122 के अनुसार ऐसे छात्रों को निर्धारित प्रार्थना पत्र पर ग्राह्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु रु. 150.00 एवं नामाकन शुल्क रुपये 50.00 कुल रु. 200.00 (प्रति छात्र) सहित संबंधित संस्था के प्राचार्य के माध्यम से समस्त ग्राह्यता प्रकरण एक साथ दिनांक 07.07.2008 तक कार्यालय में जमा करना होगा । ग्राह्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रार्थना पत्र की एक प्रति सूचनार्थ संलग्न है, यदि इस आवेदन पत्र की और आवश्यकता हो, तो नमूने के अनुसार टाइप अथवा छाया प्रति करके कृपया उपयोग में लायें ।
2. प्रायः यह देखा गया है, कि मण्डल से ग्राह्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही या तो अत्यंत विलम्ब से की जाती है या की ही नहीं जाती । इसके परिणाम स्वरूप मण्डल को छात्रों के परीक्षाफल रोकने पड़ते हैं, जिससे छात्रों को हानि होती है और वे उच्च कक्षाओं में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं । अतः अनुरोध है, कि ऐसे समस्त छात्रों की ग्राह्यता संबंधी कार्यवाही कर निम्नांकित

प्रपत्र के साथ दिनांक 07.07.2008 तक मण्डल कार्यालय में जमा करें । उक्त दिवस के पश्चात् ग्राह्यता प्रकरण मान्य नहीं किया जावेगा ।

3. **ग्राह्यता आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रपत्र :-**

- (अ) कार्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र (ब) विद्यार्थी के मूल अंकसूची एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, की मूल एवं छाया प्रति । (स) ग्राह्यता शुल्क रु. 150.00 एवं नामांकन शुल्क रु. 50.00 कुल 200.00 (प्रति छात्र) का बी. डी. जो सचिव, छ.ग. मा. शि. मं., रायपुर के नाम देय हो ।

पंजीयक
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

नोट:- संस्था में प्रवेशरत् छात्र/ छात्रों का समस्त ग्राह्यता प्रकरण एक री साथ जमा करें तथा ग्राह्यता हेतु छात्र / छात्राओं के पालकों को कदापि न भेजें । संस्था में छात्र/ छात्राओं को प्रवेश देने के पश्चात् ग्राह्यता पूर्ण करने की सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था/ प्राचार्य का होता है ।